संख्या-1/2023/50ई-2/तेरह-2023-1416949

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 9 जनवरी, 2023

विषय-मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम बरकतपुर, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को केन जूस/सीरप से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-259/दो-प्रा.डी.-76/उत्तम, दिनांक 31-12-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31-12-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम बरकतपुर, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/सीरप से वर्ष में 525 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के अन्तर्गत एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जायेगा:-

(क) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15-03-2022 एवं 23-12-2022 में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाएगा।

(ख) आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र दिनांक 29-11-2022 द्वारा जिन शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है, का अनुपालन किया जायेगा।

(ग) इकाई द्वारा शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(घ) आसवनी में केन जूस/सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी। आसवनी द्वारा केन जूस से एथनॉल उत्पादन में प्रयोग किये गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी-हैवी/बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

(ङ) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in